N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0137 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/06/2025 20:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/06/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/06/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:40 बजे **Time To (समय तक):** 11:45 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/06/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/06/2025 20:51:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 300 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** PAOTA BAS STAND KE SAMANE, CHAYA THADEE PULIYA KE PASS, JODHPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम):

   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): SHARWAN KUMAR
   (b) Father's Name (पिता का नाम): LATE.SHERARAM
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1971 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM AANGNVA, MANDOR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM AANGNVA, MANDOR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TEJARAM		पिता:PUKHARAM	1. 60 KHASARA NO.155,PREMNAGAR,BHARAT BEAD COLLAGE,KE PASS DIGADEE JILA JODHPUR,C.P.S Jaipur,ACB DISTRICT,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 25,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर विषयः-रिष्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदयजी, निवेदन है कि मै श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्री षेरा राम जी जाति सुथार उम्र 54 वर्ष निवासी गांव आंगणवा पी. एस. मण्डोर जिला जोधपुर का रहने वाला हॅू। यह है कि मेरा बिजली कनेक्षन श्री महालक्ष्मी आर्टस खाता संख्या 0593/0042 के नाम से है। जिसमें मैने 31.5 एचपी कनेक्षन ले रखा है जो अभी मेरे को 31.5 एचपी की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये मैने जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड में नांदड़ी बिजलीघर ऑफिस में बिजली लोड कम करने का आवेदन किया। आँगणवा के लाईनमेन श्री तेजा राम ने मुझे बताया कि इसके लिए जो नियमानुसार शुल्क लगेगा उसके अलावा खर्चे के मुझे अलग से रूपये देने पड़ेंगे। लगभग 2 महिने बाद भी मेरा काम नहीं हुआ और नही लाईनमेन ने मुझे कोई रसीद दी। लाईनमेन ने मुझे फोन करके कहा कि पहले ऑफिस व मेरा खर्चा 29,000/- (उन्तीस हजार रूपये) दोगे तभी तुम्हारा काम होगा और रसीद के पैसे अलग से देने होंगे लाईनमेन खुद के व उपर के अधिकारियों के नाम से 29,000/- रूपये अवैध रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज काम के लिये लाईनमेन तेजा राम को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं कृपया आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावे। भवदीय एसडी/ (श्रवण कुमार) [redacted]कार्यवाही पुलिस उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्री शेरा राम जाति सुथार उम्र 54 वर्श निवासी आंगणवा पी.एस.मण्डोर जोधपुर ने आज दिनांक 02/6/25 को समय 11.40 ए.एम. पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एसडी/ (चक्रवर्तीसिंह राठौड़) 02/6/25 दिनांक 02.06.2025 समय 12.05 पी. एम. पर परिवादी श्री श्रवण कुमार से मजीद दरियाफ्त एवं परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के श्री भीम सिंह कानि. नम्बर 446 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री श्रवण कुमार से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया श्री भीम सिंह कानि. 446 व परिवादी श्री श्रवण कुमार को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाईश की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर नया मेमोरी कार्ड लगाकर श्री भीम सिंह कानि. नम्बर 446 को सुपर्द किया गया। समय 12.20 पी.एम. पर संदिग्ध कर्मचारी की उपस्थिति के बारे में पता करने के लिये परिवादी श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री शेरा राम जाति सुथार उम्र 54 वर्ष निवासी आंगणवा जोधपर के मोबाईल नम्बर [redacted]से संदिग्ध श्री तेजाराम लाईनमैन के मोबाईल नम्बर [redacted]पर कॉल कर वार्ता करवाई तो संदिग्ध श्री तेजाराम लाईनमैन ने बताया कि मै अभी कार्यालय में ही हुं वापिस फोन करता हूं। कुछ समय बाद आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मोबाईल नम्बर[redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted]पर कॉल आया तथा परिवादी ने कहा कि कल फोन किया था ना क्या कह रहे हो तो आरोपी ने कहा मैं अपने ऑफिस की तरफ मिलुंगा। उक्त वार्ताओं को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 से रिकार्ड करवाई गई। रिकार्ड वार्ताओं की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिफ्ट बनाने का निर्णय लिया गया। समय 12.25 पी.एम. पर श्री भीम सिंह कानि. नम्बर 446 को हिदायत दी गई कि आप वक्त मांग सत्यापन वार्ता के समय परिवादी श्री श्रवण कुमार को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन कर उसको देवें तथा परिवादी श्री श्रवण कुमार के साथ जाकर परिवादी श्री श्रवण कुमार व संदिग्ध अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर लावे। परिवादी श्री श्रवण कुमार के साथ श्री भीम सिंह कानि. नम्बर 446 को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सहित परिवादी की मोटरसाईकिल व श्री भीम सिंह कानि. 446 की मोटरसाईकिल से सहायक अभियन्ता कार्यालय जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नान्दड़ी के लिए रवाना किया गया। समय 01.20 पी.एम. पर गोपनीय रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने परिवादी श्री श्रवण कुमार के साथ सहायक अभियन्ता कार्यालय जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नान्दड़ी की तरफ गये हुए श्री भीम सिंह कानि.

नं. 446 व परिवादी श्री श्रवण कुमार उपस्थित कार्यालय आये व श्री भीम सिंह कानि. ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री श्रवण कुमार अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहायक अभियन्ता कार्यालय नान्दड़ी के पास पहुंचे। जहां पर डिस्कॉम नान्दड़ी से थोडा आगे मैंने परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर परिवादी श्री श्रवण कुमार को संदिग्ध आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु डिस्कॉम नान्दड़ी कार्यालय के लिए रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति गोपनीय रूप से छुपाते हुए डिस्कॉम नान्दड़ी के कार्यालय के आसपास ही परिवादी के आने के इन्तजार किया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री श्रवण कुमार डिस्कॉम नान्दड़ी से बाहर निकल कर मेरे पास आया। परिवादी को पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं साथ ही परिवादी श्री श्रवण कुमार ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर डिस्कॉम कार्यालय नान्दड़ी में गया जहां मुझे संदिग्ध आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन उपस्थित मिले। श्री तेजाराम लाईनमैन ने मेरे बिजली कनेक्शन के लोड कम करने की ऐवज में 29,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की है ओर कहा है कि आप उदयपुर जाने से पहले आज शाम या कल तक मुझे पैसे देकर जाना और आप फोन कर देना जब फ्रि हो तब मै आ जाउगा या आप यहां आ जाना। फिर मै व परिवादी वहां से रवाना होकर श्रीमान के पास उपस्थित आये है। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री श्रवण कुमार से पूछा तों परिवादी नें श्री भीम सिंह कानि. के उपरोक्त कथनो की ताईद करते हुए बताया कि मेरी व संदिग्ध श्री तेजाराम लाईन मैन जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड नान्दड़ी से मेरी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। दौराने वार्ता श्री तेजाराम लाईन मैन द्वारा मेरे बिजली कनेक्शन के लोड कम करने की ऐवज में 29,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की है ओर कहा है कि आप उदयपुर जाने से पहले आज शाम या कल तक मुझे पैसे देकर जाना और श्री तेजाराम लाईन मैन ने मुझे बताया कि आप फ्रि हो तो फोन कर देना तब मै आ जाउगा या आप यहां आ जाना। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी एवं श्री भीमं सिंह कानि. के उपरोक्त कथनो की ताईद हुई एवम आरोपी श्री तेजाराम लाईन मैन द्वारा परिवादी के बिजली कनेक्शन के लोड कम करने की ऐवज में 29,000/-रूपये रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। आईन्दा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लगी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जावेगी । समय 02.41 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होनें के कारण एक पत्र श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम मुर्तिब कर कार्यालय पत्रांक 1834 दिनांक 02.06.2025 जारी कर जरिये ई-मेल प्रेषित किया गया एवं जरिये दुरभाष वार्ता की गई। समय 3.30 पी.एम. पर परिवादी श्री श्रवण कुमार को आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर नान्दड़ी जोधपुर द्वारा मांगी गई 29,000/- रूपयें रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 03.06.2025 को प्रातः 8.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर में उपस्थित आने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरो चौकी जोधपुर से रूख्सत किया। समय 5.17 पी.एम. पर कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश चौधरी पटवारी मो. नं. [redacted] व श्री किशोर कनिष्ठ लेखाकार मो.नं. [redacted] को पाबंद करने सम्बन्धित पत्र दिनांक 02.06.2025 जरिये ई-मेल प्राप्त हुआ। तावाद गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये दुरभाश वार्ता कर दिनांक 03.06.2025 को समय 8 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई। दिनांक 03.06.2025 समय 08.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री श्रवण कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री तेजाराम लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं साथ ही परिवादी ने बताया कि मेरे से 25,000 रूपये की व्यवस्था हो पाई है, आरोपी द्वारा 29000 रूपयें की मांग की थी, जो नही हो पाई। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो कार्मिक श्री किशोर व श्री राकेश चौधरी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी अपना नाम श्री किशोर पुत्र श्री बंशीलाल गहलोत उम्र 23 वर्ष जाति माली निवासी शिव सारणों की ढाणी महादेव नगर उन्देड़ा केरू जोधपुर हाल कनिष्ठ लेखाकार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] व श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री जोराराम चौधरी उम्र 49 वर्ष जाति जाट निवासी 3 मान महल शेर विलास मुख्य भवन के पास एयरफोर्स एरिया जोधपुर हाल पटवारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] होना बताया। समय 08.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो की उक्त गोपनीय कार्यवाही हेतु श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री श्रवण कुमार व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री किशोर कनिष्ठ लेखाकार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व श्री राकेश चौधरी पटवारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से परिचय करवाया तथा परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की फोटो प्रति मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड लगा हुआ जिसमें दिनांक 02.06.2025 को परिवादी श्री श्रवण कुमार के

मोबाईल नं.[redacted] से आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मोबाईल नं.[redacted] पर हुई वार्ता व आरोपी श्री तेजाराम के मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted]पर हुई वार्ता एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार व आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड है, को सुपर्द किया गया। वक्त 08.35 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश चौधरी व श्री किशोर मय परिवादी श्री श्रवण कुमार व परिवादी की हस्त लिखित रिपोर्ट मय संलग्न आधार कार्ड मय कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड लगा हुआ जिसमें जिसमें दिनांक 02.06.2025 को परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मोबाईल नं. [redacted]पर हुई वार्ता एवं आरोपी श्री तेजाराम के मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता व परिवादी श्री श्रवण कुमार व आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता रिकार्ड को अपने साथ लेकर अपने कार्यलय कक्ष में आई व परिवादी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो परिवादी के श्री महालक्ष्मी आट्र्स के नाम से बिजली कनेक्शन है जिसमें 31.5 एच.पी. कनेक्शन ले रखा है जिसका लोड कम करने के लिये परिवादी ने नान्दड़ी बिजलीघर में आवेदन किया था। आंगणवा के लाईनमैन श्री तेजाराम ने कहा जो नियमानुसार शुल्क लगेगा उसके अलावा खर्चे के मुझे अलग से रूपये देने पड़ेंगे। परिवादी से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफती की तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया एवं अपनी हस्तलिखित होना बताई। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 02.06.2025 को परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मोबाईल नं.[redacted] पर हुई वार्ता एवं आरोपी श्री तेजाराम के मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार व आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन द्वारा परिवादी से बिजली कनेक्षन के लोड कम करने की ऐवज में 29,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की है ओर कहा है कि आप उदयपुर जाने से पहले आज शाम या कल तक मुझे पैसे देकर जाना साथ ही आरोपी ने परिवादी को कहा कि आप फ्रि हो तो फोन कर देना तब मै आ जाउगा या आप यहां आ जाना। जिस पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। हर दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी श्री श्रवण कुमार का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी श्री श्रवण कुमार द्वारा दिनांक 02.06.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार व आरोपी श्री तेजाराम लाईन मैन के मध्य दिनांक 02.06.2025 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं मोबाईल पर हुई दो वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है के मुख्य अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर परिवादी श्री श्रवण कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये। वक्त 09.15 ए. एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री शेराराम जाति सुथार उम्र 54 वर्ष निवासी आंगणवा जिला जोधपुर ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 25,000/-रू. जिसमें 500-500 के कुल 50 नोट प्रस्तुत किये। परिवादी से श्री श्रवण कुमार द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी रिश्वति राशि एवं ट्रष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि में अंकित किये गये। उक्त नोटो पर कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि सुपुर्द कर अखबार पर रखवाये जाकर उक्त नोटो पर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री श्रवण राम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश चौधरी से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 25,000/- रूपये के नोट श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ही परिवादी के पहने हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर आप अपने मोबाईल नं[redacted]से मन् निरीक्षक पुलिस के [redacted] के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/कॉल अथवा दोनो हाथ सिर पर दो बार फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् निरीक्षक पुलिस कों एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के

उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार के उपर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को भी श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जलाकर नष्ट करवाया गया। कॉच की गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् निरीक्षक पुलिस के पास कुछ आकस्मिक खर्च के 2000 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित अलमारी में श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से रखवाया जाकर पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय मे छोड़ा गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वति राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षार करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 09.50 ए.एम. पर आरोपी श्री तेजाराम की उपस्थिति के बारे में पता लगाने के परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री तेजाराम के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल करवाया गया परन्तु आरोपी श्री तेजाराम ने फोन नहीं उठाया। उक्त वार्ता कों भी डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वक्त 09.56 ए.एम. पर श्री तेजाराम के मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं.[redacted]पर कॉल आया तथा आरोपी श्री तेजाराम ने परिवादी को बताया कि मैं किसी काम मे सुरपुरा गया हुआ है। मुझे लगभग घंटाभर लगेगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा । उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया। आईन्दा उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया। वक्त 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं.[redacted] से आरोपी श्री तेजाराम के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल करवाया गया। जिस पर आरोपी श्री तेजाराम ने कहा मैं सुरपुरा से निकल रहा हूं तो मैंने कहा कि मुझे कचहरी में वकील साहब को बिल देना है तो आप ईधर पावटा की तरफ ही आ जाओं जिस पर आरोपी श्री तेजाराम व मेरे मध्य मण्डी पावटा पुलिया जोधपुर के पास मिलना तय हुआ। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया। आईन्दा उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया। वक्त 11.05.ए.एम. पर मन् सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री प्रकाशचन्द उप निरीक्षक, श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश चौधरी एवं श्री किशोर के एसीबी चौकी जोधपुर सें पैदल रवाना एवं श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 एवं श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270 को निजी मोटरसाईकिल सें एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार एव श्री भीमं सिंह कानि. नम्बर 446 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर के निजी मोटर साईकिल सें एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5806 से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर शहर से रवाना हुए। वक्त 12.15 .पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के चौकी पर उपस्थित हुई और हालात इस प्रकार से है कि वक्त 11.15 ए.एम. पर पावटा बस स्टैण्ड के सामनें पहुचे। वक्त 11.28 ए.एम. पर आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल आया, जिसकों श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 सें डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री श्रवण कुमार कों श्री भीमं सिंह कानि. से कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपर्द कर रिश्वत राशि लेन देन हेतु पुलिया के पास चाय की थडी के लिए रवाना किया गया एवं शेष ब्यूरों जाब्ता कों पावटा बस स्टैण्ड के आसपास गोपनीय रूप सें खडा करवाकर रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार में खडे हो गये। समय करीब 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री श्रवण कुमार नें अपने सिर पर हाथ फेरकर मन निरीक्षक पुलिस व ब्यूरों जाब्ता को रिश्वत राशि लेन देन का गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिया के पास चाय की थडी पर पहुची। जहां पर परिवादी श्री श्रवण कुमार एक व्यक्ति के पास बैठा हुआ मिला। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीमं सिंह कानि. नम्बर 446 से परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त करवाकर स्वीच ऑफ करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। परिवादी श्री श्रवण कुमार नें मन् निरीक्षक पुलिस को

बताया कि यह श्री तेजाराम हैल्पर है, जिसनें मेरे से अभी अभी 25000 रूपये प्राप्त कर गिन कर अपनी पेन्ट की पीछे की जेब में रखे है। मौके पर बहुत भीड भाड हो जानें पर मौके पर कार्यवाही होना संभव नही होनें एवं ब्यूरों की चौकी करीबन 300 मीटर दूर ही स्थित होने से ब्यूरों जाब्ता की मदद से श्री तेजाराम के दोनो हाथ पकडवाकर सरकारी वाहन में बैठा कर मय हमराहीयान के मन् निरीक्षक पुलिस सरकारी वाहन व मोटर साईकिल सें पावटा बस स्टैण्ड के सामनें से रवाना होकर ब्यूरों चौकी पहुचे। ब्यूरों चौकी पहुचकर ब्यूरों चौकी जोधपुर में मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री श्रवण कुमार के एवं ब्यूरो स्टाफ के समक्ष सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री तेजाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मकान नम्बर 60, खसरा नम्बर 155, प्रेमनगर, भारत बीएड कॉलेज के पास जोधपुर हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 कों उनके मोबाईल फोन सें उक्त हाथ धोवन की कार्यवाही की विडीयोग्राफी करनें हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री तेजाराम से पूछा की आप किस पोस्ट पर हो व कहां पर पदस्थापित हों। जिस पर परिवादी नें कहा कि मै लाईनमैन हूं और नान्दडी में पदस्थापित हूं। पैसें क्यों लियें तों निरूत्तर रहा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री श्रवण कुमार सें पूछा की आपसे किस बात के पैसे लिये है, तो उन्होनें बताया कि बिजली का लोड कम करवानें के लिए, परिवादी श्री श्रवणकुमार नें कहा कि मेरे से श्री तेजाराम नें 29000 रूपयें लोड कम करनें के मांगे थे। और आज 25000 रूपये लिये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप बॉक्स में सें एक प्लास्टिक के गिलास में कार्यालय के कैम्पर से साफ पानी मंगवाकर पानी भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री तेजाराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। फिर एक प्लास्टिक के गिलास में कार्यालय के कैम्पर से साफ पानी मंगवाकर पानी भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री तेजाराम के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। इसके बाद आरोपी श्री तेजाराम द्वारा रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर गवाह श्री राकेश चौधरी सें पेन्ट की दाहिनी जेब में से निकलवाकर फर्द पेशकषी स्वतन्त्र गवाह श्री किशोर को सुपर्द कर रिश्वत राशि कों बोल बोल कर मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकषी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के 50 नोट होना पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः- 1. 500 रूपये का नोट नम्बर 2 CP 746795, 2. 500 रूपये का नोट नम्बर 1 BH 554761, 3 500 रूपये का नोट नम्बर 6 MU 868348, 4 500 रूपये का नोट नम्बर 6 UE 501656, 5 500 रूपये का नोट नम्बर 5 HK 812507, 6 500 रूपये का नोट नम्बर 3 BL 433478, 7 500 रूपये का नोट नम्बर 5 KA 230906, 8 500 रूपये का नोट नम्बर 3 KD 166062,9 500 रूपये का नोट नम्बर8 LU 585854, 10 500 रूपये का नोट नम्बर7 GL 292734, 11 500 रूपये का नोट नम्बर 5 AN 940078, 12 500 रूपये का नोट नम्बर 6 PA 008647, 13 500 रूपये का नोट नम्बर 8 VN 829264, 14 500 रूपये का नोट नम्बर 3 BV 637814, 15 500 रूपये का नोट नम्बर 7 WE 185070, 16 500 रूपये का नोट नम्बर 9 TU 383668, 17 500 रूपये का नोट नम्बर 3 CF 269586, 18 500 रूपये का नोट नम्बर 1 VG 902109, 19 500 रूपये का नोट नम्बर 2 ND 756910, 20 500 रूपये का नोट नम्बर 4 FC 285264, 21 500 रूपये का नोट नम्बर 8 VH 795892 , 22 500 रूपये का नोट नम्बर 8 HD 954477, 23 500 रूपये का नोट नम्बर 6 RF 214805, 24 500 रूपये का नोट नम्बर 3 BQ 002971, 25 500 रूपये का नोट नम्बर7 BE 639741, 26 500 रूपये का नोट नम्बर 1 AN 706993, 27 500 रूपये का नोट नम्बर4 UF 250506, 28 500 रूपये का नोट नम्बर 5 TF 836332, 29 500 रूपये का नोट नम्बर 3 WQ 559518, 30 500 रूपये का नोट नम्बर 4 HC 579297, 31 500 रूपये का नोट नम्बर 4 NL124493, 32 500 रूपये का नोट नम्बर 8 MA 030219, 33 500 रूपये का नोट नम्बर 3 WP 080684, 34 500 रूपये का नोट नम्बर 3 PU 220622, 35 500 रूपये का नोट नम्बर 9 FR 816659, 36 500 रूपये का नोट नम्बर2 TK 200395, 37 500 रूपये का नोट नम्बर 3 DB 298802, 38 500 रूपये का नोट नम्बर 3 MW 100129, 39 500 रूपये का नोट नम्बर 8 HA 946132, 40 500 रूपये का नोट नम्बर3 CG 655832, 41 500 रूपये का नोट नम्बर 5 HG 338378, 42 500 रूपये का नोट नम्बर 3 FS 218175, 43 500 रूपये का नोट नम्बर 4 PK 791863, 44 500 रूपये का नोट नम्बर 8 AW 920097, 45 500

रूपये का नोट नम्बर 1 HK 810895, 46 500 रूपये का नोट नम्बर 2 EH 101982, 47 500 रूपये का नोट नम्बर 8 CU 110777, 48 500 रूपये का नोट नम्बर 4 VC 391135, 49 500 रूपये का नोट नम्बर 5 FG 981593, 50 500 रूपये का नोट नम्बर 9 FE 673420 उक्त भारतीय मुद्रा 25,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। इसके बाद रिश्वत राशि बरामद स्थान आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद हुई है, अतः पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है। जिस पर आरोपी के पहननें हेतु पेन्ट की व्यवस्था हेतु परिवादी के मिलनें वालें को कॉल कर लेकर आनें हेतु निर्देश दिये गये। इसी दौरान परिवादी के पैण्डिग कार्य की पत्रावलियां लानें हेतु श्री प्रकाशचन्द उप निरीक्षक व श्री प्रेमं सिंह कानि. चालक कों नान्दडी डिस्काम कार्यालय के लिए रवाना किया गया। आरोपी श्री तेजाराम की जामा तलाशी गवाह किशोर से लिरवाई गई तों आरोपी के कब्जे से एक मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर (1) [redacted] व मोबाईल में सिम नम्बर [redacted] जियो कम्पनी की होना पाई गई एवं दूसरी सिम नम्बर [redacted] बीएसएनएल कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके बाद आरोपी का पुत्र आरोपी के घर सें आरोपी के पहननें के लिए एक पायजामा की व्यवस्था करके उपस्थित आया। जिस पर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर पायजामा पहनवाया गया। श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 कों उनके मोबाईल फोन सें उक्त हाथ धोवन की कार्यवाही की विडीयोग्राफी करनें हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप बॉक्स में सें एक प्लास्टिक के गिलास में कार्यालय के कैम्पर से साफ पानी मंगवाकर पानी भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री तेजाराम के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उल्टी करके धोवन करवाया गया। तो उक्त घोल का रंग गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। पेन्ट की जेब को सुखाकर जेब पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपडे की थैली में डालकर शील्ड मोहर किया गया। उक्त कपडे की थैली के शील्ड शुदा पैकेट को मार्क पी अंकित किया गया। श्री प्रकाशचन्द उप निरीक्षक सहायक अभियन्ता कार्यालय नान्दडी जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर सें श्री दिनेश कुमार यादव सहायक अभियन्ता को पत्रावलियों के रिकॉर्ड सहित तलब कर लेकर उपस्थित आये। श्री दिनेश कुमार यादव सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर डिस्काम जोधपुर कों परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित मूल पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवानें हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री दिनेश कुमार यादव सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी श्री श्रवण कुमार की महालक्ष्मी आर्टस की नान्दडी सहायक अभियन्ता कार्यालय में पत्रावली दिनांक 19.12.24 कों लोड बढानें की 59 एचपी सें 98 एचपी करनें व दूसरी पत्रावली दिनांक 19.12.2024 कों परिवादी श्री श्रवण कुमार की महालक्ष्मी आर्टस की लोड कम करनें की 31.50 एचपी सें 15 एचपी करनें की लगी हुई थी। उक्त दोनों पत्रावलियों की फोटो प्रति करवाकर श्री दिनेश कुमार यादव से प्रमाणित करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। इसके अलावा आरोपी के पास प्रिन्टर मशीन जो बिजली का बिल निकालनें के काम आती है, एवं एक मोबाईल फोन जो सैमसंग कम्पनी का है, जो बिजली विभाग के ऑनसाईट बिल जारी करनें के काम आता है, जों भी मिला है। आरोपी के नान्दडी सहायक अभियन्ता श्री दिनेश कुमार यादव को ब्यूरों की चौकी पर परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली लेकर तलब किया गया है। जिनकों उक्त मोबाईल फोन व प्रिन्टर मशीन कों प्राप्ति रसीद लेकर सुपर्द किया गया। आरोपी श्री तेजाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मकान नम्बर 60, खसरा नम्बर 155, प्रेमनगर, भारत बीएड कॉलेज के पास जोधपुर हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा परिवादी श्री श्रवण कुमार की महालक्ष्मी आर्टस फर्म के दो कनेक्शन का लोड कम व बडानें की एवज में दिनांक 02.06.2025 कों 29,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, आज दिनांक 03.06.2025 को परिवादी श्री श्रवण कुमार से 25,000 रूपये प्राप्त कर गिन कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना, जहां से रूबरू गवाहान के बरामद होना, आरोपी श्री तेजाराम के दोनों हाथों का धोवन क्रमश बाये हाथ का मटमैला व दाहिने हाथ का हल्का गुलाबी प्राप्त होना, परिवादी के उक्त दोनों पत्रावलियों की दिनांक 19.12.2024 से डिस्काम के नान्दडी कार्यालय में पैण्डिग होना, परिवादी को कार्य नही होने का डर दिखाकर बतौर रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करना पाये जानें पर अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री तेजाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मकान नम्बर 60, खसरा नम्बर 155, प्रेमनगर, भारत बीएड कॉलेज के पास जोधपुर हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा

ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री तेजाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मकान नम्बर 60, खसरा नम्बर 155, प्रेमनगर, भारत बीएड कॉलेज के पास जोधपुर हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 04.15 पी.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस प्रकरण से संबंधित प्रार्दश बरामद शुदा रिश्वत राशि 25000/- रूपये कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट शुदा, आरोपी श्री तेजाराम के दोनो हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे का लिया गया धोवन प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2 व रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहने हुई स्लेटी (डार्क ग्रे) रंग की पेन्ट के पीछे दाहिनी जेब का लिया गया धोवन के प्रार्दश पी-1, पी-2, रिश्वत राशि बरामद स्थल आरोपी के पहनी हुई स्लेटी (डार्क ग्रे) रंग की पेन्ट का कपडे की थैली में शील्ड चिट पैकेट प्रादर्श पी, आरोपी का रियलमी कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित को मालखाना प्रभारी श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लगा हुआ जिसमें दिनांक 02.06.2025 व 03.06.2025 को परिवादी श्री श्रवण कुमार एवं आरोपी श्री तेजाराम के मध्य मोबाईल एवं रूबरू हुई वार्ताए रिकॉर्ड हैं के उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। वक्त 05.15 पी. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री तेजाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मकान नम्बर 60, खसरा नम्बर 155, प्रेमनगर, भारत बीएड कॉलेज के पास जोधपुर हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार मौके पर उपस्थित उनके अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव सहायक अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नान्दड़ी जोधपुर को रूबरू दी गई। वक्त 05.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय को निगरानी हेतु आवश्यक हिदायत के साथ श्री प्रकाशचन्द उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस, मय परिवादी श्री श्रवण कुमार व मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश कुमार चौधरी व श्री किशोर मय एवं श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 के सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 को साथ लेकर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करनें हेतु पावटा बस स्टेण्ड के सामनें चाय की थडी पुलिया के पास, जोधपुर के लिये रवाना हुए। वक्त 06.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पावटा बस स्टेण्ड के सामनें चाय की थडी पुलिया के पास, जोधपुर पहुंचे तथा रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हस्तलिखित मुर्तिब किया जाकर फर्द पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन से ब्यूरो चौकी जोधपुर पहुचें। एवं श्री तेजाराम हैल्पर द्वितीय को अपनें कब्जें में लिया। वक्त 06.40 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश चौधरी व श्री किशोर एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार को दिनांक 04.06.2025 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 06.45 पी.एम. पर आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री अमित कुमार कानि. नं. 270, श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय के रवाना किया। वक्त 07.40 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय का बाद मेडीकल परीक्षण करवाकर एवं आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर में हवालात में जमा करवा कर, पुलिस थाना उदयमन्दिर पर निगरानी हेतु श्री अमित कुमार कानि. 270 को मामूर कर हाजिर आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 04.06.2025 वक्त 09.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री राकेश चौधरी पटवारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवं श्री किशोर कनिष्ठ लेखाकार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार ब्यूरो कार्यालय जोधपुर में उपस्थित आये। वक्त 09.15 ए.एम. पर परिवादी श्री श्रवण कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 02.06.2025 को परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted]से आरोपी श्री तेजाराम हैल्पर द्वितीय के मोबाईल नं[redacted] पर हुई वार्ता व आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय के मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. 9414125002 पर हुई वार्ता एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार व आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस

रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई मोबाईल पर हुई वार्ताए व रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता को कम्पयूटर पर टंकण कर हिन्दी रूपान्तरण करना प्रारम्भ की जाकर उक्त वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रूबरू गवाहन तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय की होने की पहचान की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। दोनो सीडीयों को खुली हालत में ही रहने दिया जाकर सीडीयों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खुली हालात मे रखी दोनों सीडीयों को एक अनुसंधान अधिकारी के लिए व एक आरोपी को देने के लिए तैयार की गई है। दोनो खुली हालात सीडी मालखाना प्रभारी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री श्रवण कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 03.06.2025 को आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय के मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री श्रवण कुमार के मोबाईल नं. [redacted] पर लेन देन से पूर्व हुई दो वार्ता व परिवादी के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी के मोबाईल नं. [redacted] पर लेन देन से पूर्व हुई वार्ता एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार व आरोपी श्री तेजाराम लाईनमैन के मध्य हुई रिश्वत राशि लेनदेन के समय रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा में रखा हुआ था उसे निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व हुई मोबाईल पर हुई वार्ताए व रिश्वत राशि लेनदेन के समय हुई रूबरू वार्ता को कम्पयूटर पर टंकण कर हिन्दी रूपान्तरण करना प्रारम्भ की जाकर उक्त वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रूबरू गवाहन तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री तेजाराम हेल्पर द्वितीय की होने की पहचान की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। दोनो सीडीयों को खुली हालत में ही रहने दिया जाकर सीडीयों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खुली हालात मे रखी दोनों सीडीयों को एक अनुसंधान अधिकारी के लिए व एक आरोपी को देने के लिए तैयार की गई है। मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली की सिलाई कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितान के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मोहर किया गया। दोनो खुली हालात सीडी एवं शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड मालखाना प्रभारी श्री भंवरलाल हैड कानि नं. 100 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 12.10 पी.एम. पर परिवादी एव रूबरू गवाहान के ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीमसिंह कानि नं. 446 के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी करवाई गई जिसकी कार्यालय के कम्प्यूटर से श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से डीवीडी तैयार करवाई जाकर मालखाना प्रभारी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री श्रवण कुमार व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश चौधरी व श्री किशोर को बाद कार्यवाही के रूखस्त किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री श्रवण कुमार की हस्तलिखित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 02.06.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के कानि. श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 को परिवादी श्री श्रवण कुमार के साथ भेजकर आरोपी श्री तेजाराम हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर के मध्य करवाया गया तों आरोपी द्वारा परिवादी के लकडी के कारखाना के बिजली के बिल का लोड कम करनें की एवज में 29,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, दिनांक 03.06.2025 कों 25,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना, जहां से रूबरू गवाहान एवं परिवादी के रिश्वत राशि बरामद होना, श्री तेजाराम के बायें हाथ का धोवन मटमैला व दाहिने हाथ का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त होना ईत्यादि के आधार पर उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (सुनीता कुमारी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री तेजाराम पुत्र श्री पुखाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मकान नम्बर 60, खसरा नम्बर 155,

प्रेमनगर, भारत बीएड कॉलेज के पास डिगाडी जिला जोधपुर हाल हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता नान्दडी जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री चैन प्रकाश, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीत को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 642 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 797–800 दिनांक 04.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर विद्वुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/06/2025 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	16/07/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)